

उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता मामले विभाग
पत्र संख्या: 907/84-2-2024-सी0पी0 14/88टी0सी0-163983
लखनऊ :: दिनांक : 27-12-2024
प्रेस विज्ञप्ति

प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में रिक्त व जून 2025 तक रिक्त होने वाले पदों को सम्मिलित करते हुये 46 अध्यक्ष के पद, 29 महिला सदस्य के पद एवं 48 सामान्य सदस्य के पद पर नियुक्ति की जानी है। विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

उक्त पदों पर नियुक्ति के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य-आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के नियम-10 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 04 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर रहेंगे तथा 65 वर्ष की आयु के अध्यक्षीन 04 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, परन्तु यह इस शर्त के अधीन है कि वह निम्नलिखित बिन्दु संख्या 2. अ. ब. तथा ब(1) में उल्लिखित नियुक्ति के लिए अर्हताओं और अन्य शर्तों की पूर्ति करता हो, ऐसी पुनर्नियुक्ति भी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जायेगी।

2. इसके अनुसार निम्नलिखित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2025 होगी।

अ. अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित अर्हता:

कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा हो अथवा होने के लिये अर्ह न हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा।

ब. सामान्य सदस्य एवं महिला सदस्य पद हेतु निर्धारित अर्हता:

- (1) विज्ञापन की तिथि को आयु 35 वर्ष से कम न हो।
- (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो।
- (3) क्षमतावान, सत्यनिष्ठा पूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो।

ब.(1) कोई व्यक्ति जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अर्नहित होगा यदि वह-

- I. ऐसे किसी अपराध जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता सम्मिलित हो के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो, अथवा,
- II. दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा
- III. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो, अथवा
- IV. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कार्पोरेट की सेवा में हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो, अथवा
- V. राज्य सरकार की राय में, सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

3- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 यथासंशोधित के नियम-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

4- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी उपक्रम में कार्य करने का अनुभव धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में उनकी उपलब्ध विगत 10 वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियों व सत्यनिष्ठा, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर की जायगी।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा में निम्नलिखित योजना के अनुसार 02 प्रश्न पत्र होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र में अर्हता अंक 50 प्रतिशत होंगे, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार (50 अंक) में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जायेगा:-

प्रश्नपत्र	विषय	परीक्षा की प्रकृति	अधिकतम अंक	अवधि
प्रथम प्रश्नपत्र	(क) सामान्य ज्ञान और सामयिक मामले। (ख) भारत के संविधान का ज्ञान। (ग) अनुसूची में यथा उपदर्शित विभिन्न उपभोक्ता संबंधित विधियों का ज्ञान।	वस्तुनिष्ठ प्रकार	100	2 घंटे
द्वितीय प्रश्नपत्र	(क) व्यापार और वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मुद्दों या सार्वजनिक मामलों से चुने गये विषयों पर एक निबंध। (ख) आदेशों के विश्लेषण और तर्कपूर्ण प्रारूपण की योग्यताओं का परीक्षण करने के लिये उपभोक्ता मामले के संबंध में एक मामला अध्ययन।	वर्णनात्मक प्रकार	100	3 घंटे

अनुसूची
(नियम-6(9) देखें)

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35)
2. विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1)
3. भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)
4. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12)
5. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)
6. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23)
7. माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का 3)
8. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 (2016 का 16)
9. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)
10. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)

5- परीक्षा की तिथि एवं स्थान के सम्बन्ध में यथासमय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गए ईमेल आईडी पर भी सूचित किया जायेगा।

6- उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा जिसमें व्यक्तित्व, सुसंगत पूर्व अनुभव, विधि का ज्ञान, विशिष्ट उपलब्धियों, धारित सत्यनिष्ठा तथा दृष्टिकोण हेतु सम्यक वरीयता प्रदान करते हुए अंक प्रदान किये जायेंगे।

7- अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ रु0 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत, जो निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय हो, सलग करेंगे।

8- अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा, जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम फोटो सलग किया जायेगा।

9- अभ्याथेयो द्वारा आवेदन-पत्र निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र. पिन कोड 226010 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सीधे प्रेषित किया जायेगा।

10- आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने अपूर्ण होने या इस विज्ञापन की तिथि के पूर्व अथवा विज्ञापन में आवेदन-पत्र प्राप्त होने हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे। पदों की संख्या तथा स्थान में परिवर्तन बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी जनपद में रिक्त पद पर तैनात किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

11- अभ्यर्थी आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम-2020 के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ०प्र० लखनऊ की वेबसाइट <http://scdrc.up.nic.in> से भी प्राप्त कर सकते हैं।

Signed by

Abhishek Goyal

Date: 27-12-2024 12:11:00

(अभिषेक गौयल)

विशेष सचिव,

उपभोक्ता मामले विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष, सामान्य एवं महिला सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या: 907/84-2-2020-सीपी 14/88 टीसी--163983 दिनांक: 27-12-2024

1. आवेदित पद का नाम-
2. अभ्यर्थी का नाम-.....
- (क) हिन्दी में.....
- (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में.....

अभ्यर्थी अपनी अद्यतन
स्व प्रमाणित फोटो
चिपकायें।

3. पिता/पति का नाम.....
4. (क) जन्म तिथि (प्रमाण पत्र सहित).....
- (ख) विज्ञापन की तिथि को आयु.....वर्ष.....माह..... दिन
5. (क) शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी (सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र व डिग्री संलग्न करें).....
- (ख) विशेष योग्यता (यदि कोई हो, प्रमाण पत्र सहित).....
6. (क) क्षेत्र जिसमें कार्य का पर्याप्त ज्ञान व अनुभव रखते हैं, का ब्यौरा.....

(उपभोक्ता मामलें, विधि, लोक मामलें, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव)

(ख) कितने वर्ष का ज्ञान व अनुभव रखते हैं का ब्यौरा.....

(ग) अभ्यर्थी यदि पूर्व में राज्य आयोग/जिला आयोग का सदस्य रह चुका है तो कितनी बार और कहाँ (विवरण एवं अवधि अंकित करें).....

7. (क) स्थायी पता.....

(ख) पत्र व्यवहार का पता.....

(ग) गृह जनपद.....

(घ) ई-मेल आई.डी.....

8. (क) वर्तमान व्यवसाय.....

(ख) पूर्व में किस राज्य के न्यायिक अधिकारी रहे हैं अथवा हैं (विवरण).....

(ग) पूर्व सेवा/व्यवसाय के अनुभव का विवरण, यदि कोई हो (यदि अभ्यर्थी किसी राजकीय/भारतीयसेवा आदि सेवा से सेवानिवृत्त हुये हैं, तो इसका पूर्ण विवरण अंकित करें, प्रमाण पत्र सहित).....

9. श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति).....

(आरक्षित वर्ग के समर्थन में प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।)

10. अभ्यर्थी के पिता तथा पति/पत्नी के व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण

(क) पिता.....

(ख) पति/पत्नी.....

11. यदि अभ्यर्थी का निकट संबंधी राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के पद पर कार्यरत है, तो उसका उल्लेख करें.....

12. यदि कोई अभ्यर्थी जो पूर्व में अपर जिला जज/जिला जज रहा है अथवा कार्यरत है वह जिला आयोग में नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसके परिणाम का विवरण अंकित करें.....

.....यदि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें....

.....यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 10 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें.....

.....यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण,.....

13. यदि कोई अभ्यर्थी जो पूर्व में शासकीय सेवा में रहा है अथवा कार्यरत है वह जिला आयोग में सामान्य/महिला सदस्य के पद पर नियुक्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, उसके विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई हो तो उसके परिणाम का विवरण अंकित करें.....

.....यदि अनिवार्यता सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुई हो उसका विवरण अंकित करें.....

.....यदि सेवायोजन अवधि में गत वित्तीय 10 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त हुई हो तो उसका विवरण अंकित करें तथा उसकी प्रति भी संलग्न करें.....

.....यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अभ्यर्थी को आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो, या ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो, तो उसका विवरण,.....

14. अभ्यर्थी यदि पूर्व में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्यरत है अथवा रहे हैं तो निम्न विवरण अंकित करें:-

- (ए) विभाग का नाम.....
 (बी) नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम.....
 (सी) सेवा अवधि (किस तिथि से किस तिथि तक कार्यरत रहे).....
 (डी) वेतनमान एवं मूलवेतन.....
 (ई) सेवानिवृत्ति तिथि.....
 (एफ) विभाग का पत्र व्यवहार का पता.....
 (जी) सेवानिवृत्त के समय पदनाम.....

15. उपभोक्ता मामलों के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव.....

16. प्रशासनिक क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव.....

17. किसी अन्य क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव.....

18. कोई अन्य विशेष योगदान/उत्कृष्ट कार्य उपलब्धियां/सूचना, जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहे.....

19. अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता लिखा हुआ रजिस्ट्री लिफाफा, जिस पर आवश्यक मूल्य के डाक टिकट लगे हो, 02 लिफाफे तथा 02 पासपोर्ट साईज की नवीनतम फोटो संलग्न किया जायेगा।

20. अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, उ०प्र०, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1 (शहीद पथ के बगल में) गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र. पिन कोड- 226010 को सभी

प्रमाण पत्रों एवं बैंक ड्राफ्ट रु.1000/- (रु.एक हजार मात्र) मूल रूप में निधोरत आंतेम तिथि तक भेजना होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

21. अन्य विवरण, यदि कोई हो.....

22. टेलीफोन नं० एस.टी.डी. कोड सहित.....

23. मोबाइल नं०.....

तिथि.....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान.....

अभ्यर्थी का नाम.....

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि (1) मैंने विज्ञप्ति में की गई पात्रता की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हूँ, वह मुझे मान्य हैं और वे शर्तें मैं पूरी करता/करती हूँ। (2) मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इन विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाये या कोई मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जायें। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....